फा.सं. : 1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खण्ड-XIV/2418-33

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

(सामान्य प्रशासन शाखा/General Administration Branch)

धर्मशाला-176215 **06 मई, 2021**

कार्यालय आदेश

COVID-19 के मामलों में निरंतर वृद्धि को देखते हुए तथा इसके संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्व विभाग - आपदा प्रबंधन सैल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आदेश सं. Rev.(DMC)(C) 20-2/2021-COVID-19-III दिनांक 05.05.2021 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य में दिनांक 07.05.2021 से 16.05.2021 तक लगाये गये 'कोरोना कर्फ्यू' की अनुपालना एवं कार्यालय आदेश फाइल समसंख्या 2132-34 दिनांक 20.04.2021 तथा 2148-63 दिनांक 21.04.2021 के क्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किये हैं:

i. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मीगण दिनांक 07.05.2021 से आगामी आदेशों तक अपने-अपने मुख्यालय स्थित निवास स्थान से कार्य करेंगे (Work From Home) । कर्मियों को विश्वविद्यालय के संबंधित परिसरों में उपस्थिति की छूट (exemption) रहेगी ।

ii. सभी अध्यापक पूर्व की भांति आगामी आदेशों तक अपने-अपने मुख्यालय स्थित निवास स्थान से ऑनलाइन कक्षायें एवं अध्यापन कार्य करेंगे ।

iii. पूर्व में जारी आदेशानुसार सभी अध्यापक अपने ऑनलाइन अध्यापन से निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में भरकर संबंधित विभागाध्यक्ष / निदेशक को अनिवार्य रूप से देंगे । संबंधित विभागाध्यक्ष / निदेशक प्राप्त रिपोर्ट को संकलित करके संबंधित अधिष्ठाता के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय को प्रेषित करेंगे ।

iv. सभी शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मी कार्यालय समय के दौरान घर से कार्य करने हेतु दूरभाष एवं अन्य संचार माध्यमों से उपलब्ध रहेंगे ।

v. कोई भी शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानावकाश व अन्य आवेदित अवकाश की पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे ।

vi. आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मी को कार्य स्थल / मुख्यालय पर उपस्थित होने हेतु बुलाया जा सकता है ।

vii. संबंधित कार्यालय प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कार्य उपेक्षित (unattended) न रहे ।

2. उपर्युक्त वर्णित निर्देश क्र.सं. (i) से (vii) के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कर्मीगण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे ।

3. यह माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

(हेम राज)
कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. मानद निदेशक, हि.प्र.के.वि., सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा ।
2. समन्वयक, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा ।
3. विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
5. विश्वविद्यालय में स्थापित विभिन्न अध्ययन पीठों के सभी चेयर प्रोफेसरगण ।
6. वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला ।
7. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला ।
8. विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
9. विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
10. उप पुस्तकालय अध्यक्ष, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा ।

06/05/021

11. निदेशक, कंप्यूटर सेंटर, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।
12. पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रो. एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय, सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा ।
13. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अद्यतन करने एवं उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
14. जनसंपर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।
15. कुलपति, हि.प्र.के.वि. के निजी सचिव- कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
16. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मीगण- कृपया उपर्युक्त वर्णित निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के अनुरोध सहित ।

06/05/021

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)